

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 1(48)नविवि/II/2007 पार्ट-03

जयपुर, दिनांक:

25 Jul 2022

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.01.2018 द्वारा श्री सत्येन्द्र मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति हेतु उप नियंत्रक विधिक माप-विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमांक एफ.89/संस्था/एलएम-1/2017 दिनांक 26.12.2017 के क्रम में दिनांक 01.01.2018 को इस विभाग से कार्यमुक्त किया गया था। श्री मीणा की उक्त प्रतिनियुक्ति समाप्त कर इनका पदस्थापन जयपुर विकास प्राधिकरण में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. उप नियंत्रक विधिक माप-विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर।
6. श्री सत्येन्द्र मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उप नियंत्रक विधिक माप-विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-तृतीय